न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 50/2019

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. मांगीलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति–कुमावत निवासी–बिरोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. श्रीमान तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.07/03/2019

उपस्थितः–

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 23/12/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बिरोल, पटवार हल्का–बिरोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. में खसरा नंबर 385 रकबा 27–10 बीघा किसम चाही दोयम की कृषि भूमि आई हुई थी। वादी ने उक्त भूमि में से 05 बिस्वा जमीन सन् 1983 में खरीद की थी तथा खरीदनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 421 दिनांक 23.06.1983 के जरिये वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया इसी अनुसार जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 में भी इसका इन्द्राज हुआ तथा संवत 2041 से 2044 जमाबन्दी चौसाला बनाते समय वादी का नाम इन्द्राज हुआ तथा संवत 2045 से 2048 जमाबन्दी चौसाला बनाते समय वादी का नाम सहवन से राजस्व रेकर्ड में से हटा दिया गया तथा इसके पश्चात निरन्तर वादी का नाम जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं किया गया। जबकि खरीदसुदा भूमि पर वादी का कब्जा निरन्तर खरीद के समय से लेकर आज दिन तक मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग बिना किसी रोकटोक के करता आ रहा है। उक्त जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। खसरा नंबर 385 पूर्व में 27 बीघा 10 बिस्वा थी जिसके मूल खातेदार द्वारा सन् 1984 बीघा भूमि का बेचान कर देने से उक्त खसरे की भूमि में से 04 बीघा भूमि का अलग खाता दर्ज हो जाने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि 23 बीघा 10 बिस्वा इन्द्राज है जिसमें वादी का हिस्सा 5/470 वां हक हिस्सा आता है इसी हिस्सेनुसार मौके पर वादी काबिज होकर बेरोकटोक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की नकल वादपत्र के साथ संलग्न है। तत्कालीन पटवारी हल्का ने द्वारा संवत 2045 से 2048 की चौसाला जमाबन्दी बनाते समय राहवन से वादी का नाम इन्द्राज करना रह गया, जो एक मानवीय भूल एवं त्रुटि है जिसको वादी सुधरवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है। वादी को अपनी भूमि पर .ऋण लेने की आवश्यकता होने पर वादी ने पटवारी हल्का बिरोल से दिनांक 27.13. 2018 को मिला एवं राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब वादी को सर्वप्रथम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है फिर वादी ने पूर्व की सम्पूर्ण जमाबन्दीयों की नकले प्राप्त की तो पता चला कि संवत 2045 से 2048 की जमाबन्दी बनाते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा वादी का नाम इन्द्राज करना भूल गये जबकि वादी बिना किसी रोकटोक के खरीद के समय से लेकर आज दिन तक मौके पर काबिज होकर अपने हक हिस्से व बंट का उपयोग उपभोग कर रहा है अगर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होता है तो वादी अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से महरूम हो जायेगा एवं वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए वादी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब, जैतारण को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने बाबत दिया तो प्रतिवादी तहसीलदार साहब जैतारण ने कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद ही मैं आपका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर सकता हूं इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। बिनाय दावा दिनांक 27.12.2018 को पटवारी हल्का बिरोल से मिलने एवं राजस्व रेकर्ड देखने पर एवं तहसील कार्यालय जैतारण से नकलें प्राप्त करने पर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने की सर्वप्रथम जानकारी होनें उसके पश्चात तहसीलदार साहब, जैतारण को राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, जैतारण द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करने से मना करने पर बमुकाम बिरोल तहसील-जैतारण जिला-पाली राज. में पैदा हुआ जो श्रीमानद्य् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है।

तहसीलदार, जैतारण जवाबदावा पेश किया कि सरहद मौजा-बिरोल के खसरा नंबर 885 में प्रार्थी के नाम से नामांतरण संख्या 421 दिनांक 23.06.1983 के द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत 2036 से 2039 बनाते समय नाम छुट गया, जो सही है। मौके पर कब्जा वादी का ही है। यह सही है कि मौजा बिरोल के खसरा नंबर 385 का मूल रकबा 1984 से पूर्व 27.10 बीघा था परन्तु 1984 में 04 बीघा भूमि अन्य खातेदारों को बेचान करने से 04 बीघा का खता अलग दर्ज हो गया एवं मूल खसरा 385 का रकबा 23-10 बीघा रहा जिसमें वादीगण का हिस्सा 5/470 रहा। संवत् 2045 से 2048 की जमाबन्दी खसरा नंबर 385 में वादी का नाम त्रुटिवश छुट गया है। संवत् 2045 से 2048 के खसरा नंबर 385 में वादीगण का नाम भूलवश छुट गया जिसको पुनः इन्द्राज किया जाना उचित है। सरहद मौजा बिरोल के खसरा नंबर 385 रकबा 23.10 बीघा में वाद को 5/470 हिस्सा का काश्तकार घोषित करना उचित है। मौके पर वादी का कब्जा है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। नामांतरण संख्या 421 दिनांक 23.06.1983 ग्राम-बिरोल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार गुदड़सिंह पुत्र श्री धुलसिंह द्वारा खसरा संख्या 385, रकबा 27-10 बीघा में से 1/110 हिस्सा वादी श्री मांगीलाल के पक्ष में बेचान करने से नामांतरण दर्ज किया गया। जिसका ग्राम-बिरोल की जमाबंदी संवत 2036-2039 एवं संवत 2041-2046 में खसरा संख्या 385 में खातेदार के रूप में वादी मांगीलाल का अंकन है, परन्तु आगामी जमाबंदी चौसाला में वादी मांगीलाल का नाम विलोपित कर दिया गया है, जो बदस्तूर जारी रहा। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि उक्त वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 385 में से खातेदार द्वारा 04 बीघा भूमि 1984 में बैचान कर दिए जानें से वर्तमान रकबा 23-10 बीघा है, जिसमें वादी का हिस्सा 5/470 आता है। तहसीलदार, जैतारण ने भी अपने जवाबदावे में उक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए वाद-वादी स्वीकार किए जाने की सहमति प्रकट की है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड संधारण एवं नवीन जमाबंदी चौसाला बनाते समय संबंधित राजस्व कार्मिक द्वारा सहवन से पिछली जमाबंदी में दर्ज करनें में त्रुटि हुई है जिसरो वादी का संवत् 2045-2048 एवं पश्चातवर्ती जमाबन्दीयों में नाम विलोपित रहा है, राजस्व कार्मिकों को राजस्व रिकॉर्ड के संधारण एवं नवीन जमाबंदी में अंकन के दौरान किसी भी प्रविष्टि को विलोपित या सृजित या संशोधित करनें का कोई अधिकार नहीं होता है जब तक की इस बाबत् कोई वैध एवं सक्षम आदेश न हो। अतः हम वाद-वादी स्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादी अंतर्गत धारा-88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होनें से स्वीकार करते हुए वादी मांगीलाल पुत्र घीसाराम, जाति-कुमावत, निवासी-बिरोल, तहसील-जैतारण जिला-पाली को ग्राम-बिरोल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली के खसरा नंबर 385, रकबा 23-10 बीघा आराजी में से 05/470 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादी ::–

1. मांगीलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति–कुमावत निवासी–बिरोल तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

1. श्रीमान तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0नं0 :रा0वा0 स0: 50/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद–वादी अंतर्गत धारा–88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होनें से स्वीकार करते हुए वादी मांगीलाल पुत्र घीसाराम, जाति–कुमावत, निवासी–बिरोल, तहसील–जैतारण जिला–पाली को ग्राम–बिरोल, तहसील–जैतारण, जिला– पाली के खसरा नंबर 385, रकबा 23–10 बीघा आराजी में से 05/470 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/12/2019 को सरे इजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	01	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	03	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.26 17:07:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: